न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र. क्र. /2011 पुनरिक्षण R-806-III/2011

निराकृत/निर्णीत (अमान्य)
आदेश दिनांक 2/5/15

1. रामनूज तनय हनुमान राम,
2. सुग्रीब तनय मथुराप्रसाद पटेल ,
3. कन्हैया लाल तनय मथुराप्रसाद पटेल,
4. राम नरेश तनय मथुराप्रसाद पटेल,
5. राजेश तनय सुग्रीब पटेल,
6. मोतीलाल तनय मथुराप्रसाद पटेल,

समस्त निवासीगण ठराव तहसील हनुमना जिला रीवा, म.प्र. .... आवेदकगण

बनाम

1. नीता देबी पुत्री जगदीश प्रसाद
2. कमलावती पत्नि जगदीश प्रसाद

समस्त निवासीगण ठराव तहसील हनुमना जिला रीवा, म.प्र. . ... अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व 1959 न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 678/अपील/2011 में पारित आदेश दिनांक 18.05.2011 के विरूद्ध पुनरीक्षण प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण के ओर से पुनरीक्षण निम्नांनुसार प्रस्तुत है :–

पुनरीक्षण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, भूमि सर्वे कमांक 1576 रकवा 1.17 ए0, 1577/2 रकवा 2.37 ए0, 1782 रकवा 1.00 ए0, 1812/1 रकवा 0.52 ए0, 1814 रकवा 1.92 ए0,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग. 806–III/13 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
2.4.2014	यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 678/2010–11 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 18–5–11 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदकगण के अभिभाषक ने लेखी तर्क दिये, जिसकी प्रति अनावेदकगण के अभिभाषक को देकर 7 दिवस में लेखी बहस (उत्तर) प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया था, किन्तु उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। 3/ निगरानी मेमो के तथ्यों के अवलोकन पर पाया गया कि अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 678/2010–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 23–2–11 से अनुविभागीय अधिकारी मउ्रगंज व्दारा प्रकरण कमांक 14/ए–6/09–10 में पारित आदेश दिनांक 28–12–10 का कियान्वयन स्थगित किया था, किन्तु अनावेदकगण के अभिभाषक व्दारा अनुविभागीय अधिकारी मउ्रगंज के आदेश दिनांक 28–12–10 का राजस्व अभिलेख में कियान्वयन होने का तथ्य बताने एंव प्रमाण प्रस्तुत करने के कारण अंतरिम आदेश	

दिनांक 18–5–11 से स्थगन समाप्त कर दिया। आवेदकगण के अभिभाषक ने बताया है कि अपर आयुक्त व्दारा बिना किसी आधार के स्थगन को निरस्त किया है इसलिये निगरानी स्वीकार स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 18–5–11 निरस्त कर दिया जावे।

4/ अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 18–5–11 के अवलोकन से परिलक्षित है कि उन्होंने यह समाधान हो जाने के कारण, कि अनुविभागीय अधिकारी मउञ्रांज के आदेश दिनांक 28–12–10 का राजस्व अभिलेख में कियान्वयन हो चुका है, स्थगन आदेश दिनांक 28–12–10 रिक्त किया है और प्रकरण अंतिम तर्क हेतु लगाया है। वैसे भी यदि किसी संपत्ति के संबंध में न्यायालय में वाद विचाराधीन है, ट्रॉसफर आफ प्रापर्टी एक्ट की धारा 52 से संपत्ति का अंतरण संरक्षित रहता है, जिसके कारण निगरानी हेतु दर्शाए गए आधार निरर्थक हैं, जबकि अपर आयुक्त व्दारा अंतरिम आदेश दिनांक 15–5–11 से प्रकरण अंतिम तर्क हेतु लगाया है और आवेदकगण के पास अपर आयुक्त के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उपचार प्राप्त है एंव अंतिम तर्क प्रस्तुत करके आवेदकगण अपील प्रकरण का निराकरण करा सकते हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में आवेदकगण को किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है।

5/ उपरोक्त कारणों से निगरानी सारहीन पाये जाने से अमान्य की जाती है। फलतः अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 678/2010–11/अपील में पारित आदेश दिनांक 18–5–11 स्थिर रहता है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

सदस्य